

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-336/2018

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति महाब्राह्मण आयु-49 वर्ष निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
2. सूरजमल पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति महाब्राह्मण आयु- 59 वर्ष निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
3. महावीर प्रसाद पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति महाब्राह्मण आयु-51 वर्ष निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।

-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी । -प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री छगनलाल सिडाना वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री पैरोकार राज प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नम्बर 8 जी.जी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2070-73 खाता संख्या-245/117 में दर्ज कुल भूमि 3.036 है में अंकित जाति तारग के स्थान पर जाति महाब्राह्मण किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में तारग के स्थान पर जाति महाब्राह्मण अंकन कियां जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 24.10.18 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.10.18 को जारी किया गया।



(Signature)
(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी